

**POST GRADUATE DIPLOMA IN  
INTERNATIONAL BUSINESS  
OPERATIONS/MASTER OF  
COMMERCE**

**Term-End Examination**

**June, 2010**

**IBO-04 : EXPORT - IMPORT  
PROCEDURES AND DOCUMENTATION**

*Time : 3 hours*

*Maximum Marks : 100*

---

**Note :** *Answer both parts A and B.*

---

**PART - A**

1. Comment on the following : 5x4
- (a) Under Documents Against Acceptance (DA) method, the exporter does not draw an usance bill.
- (b) Imports must be financed by additional export earnings.
- (c) A Tramp Shipping Service operates at higher cost than the Liner Shipping Service.
- (d) Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) does not provide financial assistance.

05732

## PART - B

Answer *any four* questions :

2. (a) Briefly discuss the legal framework governing India's foreign trade. **10+10**  
(b) Explain the objectives of foreign trade policy of Government of India.
  
3. Describe the significance and types of Bill of Lading. How can a bill of lading be transferred ? **5+8+7**
  
4. Explain the provisions related to the regulation and management of foreign exchange under Foreign Exchange Management Act, 1999. **20**
  
5. Explain various methods of import finance available to Indian importers. **20**
  
6. Why is quality control required for export goods ? Describe various methods of quality control and pre-shipment inspection. **4+16**
  
7. Describe the procedure of Central Excise rebate under Rule 18 of Central Excise Rule alongwith the documentation formalities. **20**

8. Write notes on *any two* of the following : **10+10**

- (a) Airway Bill
  - (b) Export Declaration Forms
  - (c) Particular Loss
  - (d) Income tax exemption for exporters
- 

05

अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय प्रचालन में स्नातकोत्तर  
डिप्लोमा/वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि

सत्रांत परीक्षा

जून, 2010

आई.बी.ओ.-04 : निर्यात-आयात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण

समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

नोट : खंड-अ और खंड-ब दोनों का उत्तर दीजिए।

खंड-'अ'

1. निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए : 5x4
- (a) स्वीकृति पर प्रलेखों की सुपुर्दगी प्रणाली के अंतर्गत, निर्यातकर्ता एक मुद्दती बिल नहीं लिखता है।
- (b) आयातों का वित्तीयन अवश्य ही निर्यात आय में वृद्धि करके किया जाना चाहिए।
- (c) ट्रैम्प जहाजी सेवा का परिचालन लागत लाईनर जहाजी सेवा से अधिक होता है।
- (d) कृषि तथा प्रक्रमणित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करता है।

## खंड-'ब'

किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

2. (a) भारत के विदेशी व्यापार को नियमन करने वाले विधिक ढांचा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 10+10  
(b) भारत सरकार के विदेशी व्यापार नीति के उद्देश्यों का व्याख्या कीजिए।
3. जहाजी बिल्टी के विशेषताओं और प्रकारों का विवेचन कीजिए।  
जहाजी बिल्टी को किस प्रकार हस्तांतरित किया जा सकता है? 5+8+7
4. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा 20  
का विनियमन तथा प्रबंध संबंधी प्रावधानों का व्याख्या कीजिए।
5. भारतीय आयातकों को उपलब्ध विभिन्न प्रकार के आयात वित्त 20  
की विधियों का व्याख्या कीजिए।
6. निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण क्यों  
आवश्यक है? गुणवत्ता नियंत्रण तथा पोत-लदान पूर्व निरीक्षण  
के विभिन्न विधियों का विवेचन कीजिए। 4+16
7. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के अंतर्गत नियम 18 के अनुसार 20  
माल पर दिए गए उत्पाद शुल्क पर छूट के विधि का प्रलेखीकरण  
के साथ विवेचन कीजिए।

8. निम्नलिखित में से *किन्हीं दो* पर टिप्पणियां लिखिए : 10+10

- (a) हावई मार्ग बिल्टी
  - (b) निर्यात घोषणा फॉर्म
  - (c) विशिष्ट हानि
  - (d) निर्यातकर्ताओं के लिए आयकर में छूट
- 

05